P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-4* ISSUE-2* May (Part-1)- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

लोकतंत्र एवं मतदान व्यवहार

मोहन लाल दायमा
सहायक आचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
सूरतगढ़, श्रीगंगानगर,
राजस्थान, भारत

सारांश

लोकतंत्र समकालीन राजनीति अध्ययन की एक चर्चित संकल्पना है। लोकतान्त्रिक सिद्धान्त एवं व्यवहार की सतत् अभिवृद्ध लोकप्रियता ने इस संकल्पना को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। लोकतान्त्रिक संकल्पना के अध्ययन के सन्दर्भ में सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, नारीवाद, आतंकवाद, पर्यावरण संरक्षण, सम्प्रोषित विकास आदि समकालीन राजनीति की महत्वपूर्ण अवधारणाएँ हैं। समकालीन राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीति के नवीन मुद्दों को नवीन परिस्थितियों के सन्दर्भ में अध्ययन करता है। लोकतान्त्रिक राजनीति के सन्दर्भ में चुनाव–राजनीति, उम्मीदवार, मतदाता तथा मतदान व्यवहार राजनीतिक अध्ययन की प्रमुख संकल्पनाए है। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं में प्रत्येक व्यस्क नागरिक द्वारा सरकार के निर्णयों, नीतियों और योजनाओं, विभिन्न राजनीतिक दलों की चुनावी घोषणाओं और कार्यक्रमों अथवा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के बारे में अपनी सहमति अथवा असहमति को प्रकट करने के माध्यम से रूप में 'मतदान' का अत्यधिक महत्व है। अतः लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं में अपने मत की अभिव्यक्ति के रूप में 'मतदान' संबंधी शोध परियोजनाओं पर अत्यधिक बल दिया जाने लगा है। मतदान आचरण अथवा मतदान व्यवहार समकालीन लोकतान्त्रिक राजनीति की एक चर्चित अवधारणा है। मतदान व्यवहार को समझने के लिए लोकतन्त्र को समझना आवश्यक है।

मुख्य शब्द : लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, मानवधिकार, नारीवाद, आंतकवाद, मतदान व्यवहार, सम्प्रभुता, जनप्रतिनिधि लोकतंत्र, निर्वाचन

प्रस्तावना

लोकतन्त्र मात्र एक राजनीतिक सिद्धान्त नहीं है, अपितु एक व्यावहारिक शासन व्यवस्था है। यह एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था मात्र नहीं वरन् एक सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है। समकालीन राजनीति व्यवस्थाओं में गैर–लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाओं की असफलता ने 'लोकतंत्र' को एक श्रेष्ठ एवं सफल राजनीतिक व्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। अतः लोकतान्त्रिक राष्ट्र स्वयं में 'श्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था' का गौरव अनुभव करने लगे हैं तथा गैर–लोकतान्त्रिक राष्ट्रों में भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था के स्थापना की मांग बढ़ने लगी है। इसी कारण बीसवीं शताब्दी के प्रत्येक तानाशाह ने लोकतंत्रीय नारा देते हुए अपने आपको लोकतंत्रवादी घोषित करने की कोशिश की हैं।[1]

लोकतन्त्र का अर्थ एवं परिभाषा

लोकतन्त्र वर्तमान समय की सर्वोत्तम एवं अत्यधिक प्रचलित शासन व्यवस्था है। फ्रीडम हाउस के एक विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2000 में विश्व के 192 राष्ट्रों में से 62 प्रतिशत अर्थात् 120 राष्ट्रों में लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रचलित है।[2] मात्र प्रचलन के स्तर पर ही नहीं अपितु चिन्तन के स्तर पर भी लोकतन्त्र एक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। लोकतंत्र केवल सरकार का एक स्वरूप ही नहीं, यह समाज की एक व्यवस्था भी है। राजनीतिक चिन्तन में मुख्यतः इसे शासन के प्रकार के रूप में परिभाषित किया गया है। अपने महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'आधुनिक लोकतंत्र' में लार्ड ब्राइस भी लोकतंत्र को सरकार का एक प्रकार मानते है।[3] ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें राज्य की प्रशासनिक शक्तियाँ किसी वर्ग अथवा किन्ही वर्गों तक सीमित न रहकर समाज के सभी सदस्यों में निहित होती है।[4]

अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। इसी तरह मेयो के अनुसार लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था वह है जिसमें सार्वजनिक नीतियाँ बहुमत के आधार पर उन प्रतिनिधियों द्वारा बनाई जाएँ जो जनसाधारण के कारगर नियंत्रण में रहे और जो राजनीतिक

स्वतंत्रता की परिस्थितियों में, राजनीतिक समानता के नियम के अनुसार समय–समय पर होने वाले चुनावों द्वारा चुने गए हों।'' सारटोरी के अनुसार ''लोकतंत्रीय व्यवस्था वह है जो सरकार को उत्तरदायी तथा नियंत्रणकारी बनाती हो तथा जिसकी प्रभावकारिता मुख्यतः इसके नेतृत्व की योग्यता तथा कार्यशीलता पर निर्भर हो।'' शूम्पेटर के शब्दों में, ''लोकतान्त्रिक पद्धति राजनीतिक निर्णय लेने की ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों को जनता के वोट के लिए प्रतियोगितात्मक संघर्ष के माध्यम से निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है।[5]'' सीले के अनुसार 'लोकतंत्र वह शासन है, जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। डायसी लोकतंत्र को सरकार का एक ऐसा स्वरूप बताते हैं, जिसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है।[6] इस प्रकार उक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है, जो जनता की अपनी हो, जनता के नियंत्रण में हो तथा जनता के प्रति उत्तरदायी हो। शाब्दिक दृष्टि से लोकतंत्र अर्थात लोक का तन्त्र या जनता का शासन है। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है, जिसमें सम्प्रभुता जनता में निहित होती है।

यदि लोकतंत्र की शाब्दिक परिभाषा को व्यावहारिक अर्थ में समझने का प्रयास किया जाये तो इसका अभिप्राय ऐसी शासन अथवा राजनीतिक व्यवस्था से होगा, जिसमें प्रत्येक नागरिक की सहभागिता हो, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर ऐसा होना सहज नहीं है और भारत जैसे विशाल देश में ऐसा लगभग असम्भव है। लोकतंत्र के व्यावहारिक स्वरूप के आधार पर इसे दो रूपों (प्रत्यक्ष लोकतंत्र अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र) में देखा जाता है।

विशुद्ध लोकतंत्र अर्थात् जहाँ सभी नागरिकों के पास सम्प्रभुता होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। इसके विपरीत जिस व्यवस्था में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सम्प्रभुता का प्रयोग किया जाता है। अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। सामान्यतः अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र को ही लोकतंत्र का पर्याय माना जाता है। अप्रत्यक्ष/प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार निर्वाचन होता है। चुनाव के माध्यम से ही जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ये निर्वाचित जन प्रतिनिधि ही जनता की ओर से शासन का संचालन करते हैं। ये जनप्रतिनिधि शासितों अर्थात् जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं तथा लोकहित में शासन का संचालन करते हैं। इस प्रकार लोकतान्त्रिक व्यवस्था में चुनाव वह तरीका या प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अपने राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करती है। प्रतिनिधि शासन चलाने के लिए नागरिक निश्चित अंतराल के बाद अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित अवधि के लिए होता है ताकि उन्हें अपनी नीतियों और कार्यक्रम लागू करने का अवसर मिल जाए, परन्तु उन्हें निरन्तर यह आभास होता रहे कि सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें फिर से जनता का विश्वास प्राप्त करना होगा।[7]

चुनावों के बिना लोकतंत्र की कल्पना करना कठिन है।[8] प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत निर्वाचन/चुनाव ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समुदाय या संगठन के सदस्य निश्चित नियमों के अनुसार एक या अनेक व्यक्तियों को अपनी ओर से सत्ता का प्रयोग करने के लिए चुनते हैं। निर्वाचन को इस बात का प्रमाण माना जाता है कि शासक या सत्ताधारी अपनी सत्ता का प्रयोग शासितों की सहमति से करेंगे। अतः निर्वाचन उनकी सत्ता को वैधता प्रदान करता है।[9] अन्य शब्दों में निर्वाचन ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और किसी हद तक उन पर नियन्त्रण भी रखती है। लोकतंत्र में निर्वाचन ही एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जनता अपनी इच्छित सरकार का निर्माण करती है। निर्वाचनों के माध्यम से जनता अपने मत के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव ही नहीं करती है बल्कि उन पर नियंत्रण भी रखती है। निर्वाचन ही जनता को सत्ता में राजनीतिक सहभागिता प्रदान करते हैं।[10]

कोई भी लोकतान्त्रिक सरकार सही अर्थों में लोकतान्त्रिक है अथवा नहीं है इसका वास्तविक परीक्षण निर्वाचन प्रक्रिया में जन–सहभागिता से ही सम्भव होता है। शासन कार्यों में जन साधारण की भागीदारी ही लोकतंत्र को पूर्णता प्रदान करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह सहभागिता प्रत्यक्ष होती है, लेकिन अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र में यह सहभागिता अप्रत्यक्ष अर्थात चुनाव प्रक्रिया के द्वारा ही सम्भव होती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया के अन्तर्गत 'मतदान' द्वारा ही जन साधारण की राजनीतिक सहभागिता संभव होती है। यह सहभागिता ही लोकतंत्र को सफल बनाती है। इसी सहभागिता के कारण नागरिक समाज, सम्पूर्ण सामाजिक तत्व में एकीकृत हो जाता है। यह सहभागिता ही लोगों द्वारा उनकी सार्वजनिक मामलों में भागीदारी को संभव बनाती है। राजनीति विज्ञान में सहभागिता से अभिप्राय राजनीतिक सहभागिता से होता है अर्थात शासन व्यवस्था के निर्माण एवं उसके संचालन में जनता की भागीदारी। इस भागीदारी से अनेक रूप होते हैं–

1. चुनावों में मताधिकार का प्रयोग करना
2. उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ना
3. जनप्रतिनिधि अथवा राजकर्मी के रूप में राजकीय मामलों एवं निर्णय–निर्माण आदि कार्यो में भाग लेना।

राजनीतिक सहभागिता लोकतंत्र की सफलता की पूर्व शर्त है। लोकतंत्र में राजनीतिक सहभागिता जितनी अधिक होती है, लोकतंत्र उतना अधिक सशक्त होता है। बारबार द्वारा अपनी पुस्तक स्ट्रांग डेमोक्रेसी, राबर्टसन द्वारा अपनी रचना 'पोलिटिकल पार्टिसिपेशन' पेटमैन द्वारा अपनी रचना 'पार्टीसिपेशन एण्ड डेमोकेटिक थ्योरी' के अन्तर्गत नागरिकों द्वारा राजनीतिक जीवन में सहभागिता पर बल दिया गया है।[11] जन सहभागिता को जनतंत्र का आधारभूत तत्व माना जाता है। निर्वाचन को जनता के मतदान व्यवहार को जानने का सबसे सही और राजनीति की मुखर प्रक्रिया माना जाता है।[12] प्रजातंत्र की सफलता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों पर निर्भर करती है। चुनावों में मतदाताओं की सहभागिता का स्वरूप लोकतंत्र के चारित्र को उजागर करता है। इसी कारण राजनीतिक प्रक्रियाओं के आनुभाविक अध्ययनों में 'चुनाव एवं मतदान व्यवहार' का अध्ययन महत्वपूर्ण हो गया है।

राजनीतिक प्रक्रियाओं में मतदान प्रक्रिया के सम्बन्ध में 'मतदान व्यवहार' एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सरकार राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या के प्रतिनिधित्व का प्रतिफल होती है और यह प्रतिनिधित्व भी विभिन्न प्रकार के निर्वाचनों से ही प्राप्त होता है। निर्वाचन राज्य एवं क्षेत्र की जनसंख्या से राजनीतिक चयन एवं निर्णय से संबंधित होता है। यही राजनीतिक चयन मतदान व्यवहार कहलाता है।[13] मतदान व्यवहार संबंधी समस्त अध्ययनों का प्रमुख उद्देश्य यह जानना होता है कि मतदाता मत देते समय किस तथ्य से सर्वाधिक प्रभावित होता है? वे कौन सी बातें तथा मुद्दे होते है, जो आम मतदाता को किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में अपना मत देने के लिए प्रेरित करते हैं।[14] सैद्धान्तिक दृष्टि से मनुष्य एक तार्किक प्राणी है, लेकिन अपने राजनीतिक या आर्थिक व्यवहार में वह तार्किक नहीं होता है। मतदान व्यवहार के सम्बन्ध में एक आनुभाविक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मनुष्य का व्यवहार कई तत्वों से प्रभावित होता है। धार्मिक–साम्प्रदायिक तत्व, धन का प्रभाव, नेताओं का व्यक्तित्व या लोक लुभावने भाषण या अनेक गैर–तार्किक बातें मतदाता के मस्तिष्क को प्रभावित करती है।

लोकतान्त्रिक सन्दर्भ में मतदान का अभिप्राय सरकार के निर्णय, नीतियों और योजनाओं या राजनीतिक दलों की चुनावी घोषणाओं एवं कार्यक्रमों अथवा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में किसी उम्मीदवार विशेष के पक्ष या विपक्ष में 'मत' द्वारा अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करना है। संक्षेप में 'मतदान' चुनाव के माध्यम से मत देकर जनप्रतिनिधियों को चुनने या अपना मत व्यक्त करने की प्रक्रिया है। संक्षेप में मतदान निर्णय लेने या अपना विचार प्रकट करने की एक विधि है।

मतदान व्यवहार

निर्वाचन राजनीति में मतदान–व्यवहार का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। मतदान व्यवहार के अध्ययन के अन्तर्गत उन स्थितियों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है, जो एक मतदाता के व्यवहार अर्थात मतदाता के निर्णय को प्रभावित करते हैं। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाली स्थितियाँ एवं कारक सार्वभौमिक नहीं होते हैं। अर्थात ये कारक एवं तथ्य प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक मतदाता पर एक सा प्रभाव नहीं करते हैं। एक स्थिति में एक मतदाता का व्यवहार दूसरे मतदाता के व्यवहार से भिन्न हो सकता है। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न हो सकते है। इसलिए सभी क्षेत्रों में मतदान व्यवहार समान नहीं होता है।

मतदान व्यवहार के अन्तर्गत हम केवल उन्हीं लोगों का अध्ययन नहीं करते हैं जो मतदान करते है वरन् उन लोगों का भी अध्ययन करते हैं, जो मतदान नहीं करते है। चुनाव से पूर्व और चुनाव के पश्चात् मतदाताओं से सम्पर्क स्थापित कर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी आधार पर मतदान व्यवहार के सम्बद्ध में कुछ निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।[15] इस प्रकार राजनीतिक प्रक्रियाओं विशेष रूप से निर्वाचन प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में मतदान व्यवहार एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। मतदान व्यवहार को समझने के लिए उसका सैद्धान्तिक विवेचन आवश्यक है।

चुनावों में प्रत्याशियों की सफलता/असफलता मतदान पर निर्भर करती है। किसी भी निर्वाचन में मतदान प्रतिशत मतदान व्यवहार द्वारा ही निर्धारित होता है। चुनावों में अधिक या कम मतदान प्रतिशत 'मतदान व्यवहार' पर ही निर्भर करता है। 'मतदान व्यवहार' चुनाव के समय मत देने या ना देने और इस निर्णय को प्रभावित करने वाले कारणों से संबंधित होता है। मतदान व्यवहार अथवा मतदान आचरण चुनाव एवं चुनावी प्रक्रिया से संबंधित व्यवहार है, जो अनेक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारणों से प्रभावित होता है।[16]

अध्ययन का उद्देश्य

लोकतंत्र एवं मतदान व्यवहार शीर्षक से प्रस्तुत इस शोध का प्रमुख उद्देष्य लोकतंत्र के संदर्भ में मतदाताओं के मतदान व्यवहार को समझना है। प्रस्तुत शोध का एक उद्देष्य विष्व में प्रचलित राजनीतिक व्यवस्थाओं में से लोकतंत्र किस मायने में श्रेष्ठ है इसे भी उजागर करना है साथ ही भावी शोधकर्ताओं के लिये शोध हेतु विषय सामग्री प्रस्तुत करना है।

मतदान व्यवहार का अर्थ

चुनाव में किसी प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल विशेष के पक्ष या विरोध के निर्णय को मताधिकार द्वारा व्यक्त करने सम्बन्धी आचरण को मतदान व्यवहार कहा जाता है। अन्य शब्दों में मतदान व्यवहार से तात्पर्य एक मतदाता के उस चुनाव–व्यवहार से है, जिसका प्रदर्शन वह चुनाव अभियान एवं मतदान में करता है।[17] चुनाव एंव निर्वाचणीय प्रक्रिया से संबंधित एक अन्य पहलू मतदान आचरण है। डोनाल्ड ई. स्टोक्स के अनुसार मतदान व्यक्तिगत प्राथमिकताओं व सामूहिक निर्णयों में समहार करने का एक साधन है।[18] मतदान व्यवहार का आशय है कि मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग में किन तत्वों से प्रभावित होता है। अतः मतदाता के मतदान करते समय उनके व्यवहार का अध्ययन ही मतदान व्यवहार करता है।

मतदान व्यवहार का अर्थ यह माना जाता है कि मतदाता मताधिकार का प्रयोग करते समय जिन भावनाओं से प्रेरित होता है एवं मतदान करते समय उसके मस्तिष्क में किन–किन बातों का प्रभाव अंकित होता है। संक्षेप में मतदान व्यवहार मतदाता के मत देने तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन से है। मतदान व्यवहार में सर्वप्रथम यह अध्ययन किया जाता है कौन–से तत्व व्यक्ति को मताधिकार करने के लिए प्रेरित और कौन से तत्व उसे इस सम्बन्ध में निरूत्साहित करते हैं। द्वितीय स्तर पर इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किन तत्वों से प्रभावित होकर व्यक्ति एक विशेष उम्मीदवार और एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। इस दृष्टि से मतदान व्यवहार का अध्ययन चुनाव के पूर्व भी किया जाता है और चुनाव के बाद भी।[19]

मतदान व्यवहार कोई सामान्य या सरल व्यवहार या आचरण नहीं है, अपितु यह एक ऐसा राजनीतिक व्यवहार होता है, जो किसी राजनीतिक निर्णय को व्यक्त करता है और यह राजनीतिक निर्णय मिश्रित कारणों से

प्रभावित होता है। ये मिश्रित कारक बाह्य या आन्तरिक अथवा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक या मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने और लोकतन्त्र को सुदृढ़ करने में चुनाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसी प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति (नागरिक) और व्यवस्था (राजनीतिक व्यवस्था) के मध्य अन्तःक्रिया सम्पन्न होती है। चुनाव के अन्तर्गत मतदान द्वारा ही नागरिक शासन की नीतियों और कार्यों के प्रति अपनी सहमति अथवा विरोध प्रकट करते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। अर्थात् स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव ही नागरिकों को यह अवसर उपलब्ध करवाते हैं कि वह एक मतदाता के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सरकार को पुरूस्कृत या दण्डित करें। लोकहितकारी सरकार जो अपना मत एवं समर्थन देकर पुनः सत्ता में आने या अवसर दे अथवा जन विरोधी सरकार के विरूद्ध मतदान कर उसे बहुमत प्राप्त करने से रोके। इस प्रकार मतदान व्यवहार निर्वाचन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया ही नहीं बल्कि मतदाता की राजनीतिक अनुभूतियों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने का एक माध्यम भी है। मतदान व्यवहार समकालीन लोकतान्त्रिक राजनीति की एक महत्वपूर्ण संकल्पना है और इसके अध्ययन के द्वारा ही प्रतिनिधि लोकतंत्र की सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *ज्ञान सिंह संधु, राजनीति सिद्धान्त, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 2004, पृ. 289*
2. *एन.डी. अरोड़ा, राजनीति विज्ञान, (टाटा एम सी) हिल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, न्यू देहली 2013, पृ. 7.4*
3. *कृष्णकान्त मिश्र, राजनीति सिद्धान्त और शासन, ग्रन्थ शिल्पी, दिल्ली, 2001, पृष्ठ 382*
4. *एन.डी. अरोड़ा, नोट–2, पृ. 7.1*
5. *ज्ञान सिंह संधु, नोट–1, पृ. 291*
6. *कृष्णकान्त मिश्र, नोट–3, पृ. 282*
7. *ओ.पी. गाबा, राजनीति विज्ञान की रूपरेखा, मयूर पेपर बैक्स, 2001, पृ. 224–225*
8. *एन.डी. अरोड़ा, नोट–2, पृ. 7.9*
9. *ओ.पी. गाबा, नोट–7, पृ. 242*
10. *पपली राम, मतदान व्यवहार, जाति एवं राजनैतिक चेतना, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2015, पृ. 90*
11. *एन.डी. अरोड़ा, नोट–2, पृ. 6.15*
12. *पपली राम, नोट–10, पृ. 90*
13. *पपली राम, नोट–10, पृ. 153–154*
14. *संजीव महाजन, सामाजिक मनोविज्ञान, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2004, पृ. 439*
15. *पपली राम, नोट–10, पृ. 85*
16. *संजीव महाजन, नोट– 14, पृ. 439*
17. *एन.जी.एस. किनी, दी सिटी वोटर इन इण्डिया, 1974, पृ. 27*
18. *स्टोक्स, डोनाल्ड ई. वोटिंग इन डेविड शिल्स (संपा) वॉ.16, पृ. 387*
19. *बबीता चौधरी, 16 वीं लोकसभा निर्वाचन और मतदान व्यवहार, रिसर्च रिइन्फोर्समेन्ट, वर्ष 2, अंक–2, नवम्बर 2014–अप्रेल 2015, पृ. 191*